क्रम-संख्या—55

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 मार्च, 2013

चैत्र 5, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 373/79-वि-1-13-1(क)-5-2013

लखनऊ, 26 मार्च, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2013)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "और 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "और 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 01 जून, 2013 से दो लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "साठ हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ग) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) में शब्द "आठ हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "चार सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "चार सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) निकाल दी जाएगी।

धारा 24 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में शब्द "सात हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 26-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 26-क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) ऐसे भूतपूर्व सदस्यों, जिनकी मृत्यु 05 मार्च, 2010 से पूर्व हुई है, के पति/पत्नी, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 के आरम्भ के दिनांक को जीवित हैं, पर भी लागू होगी। ऐसे पति/पत्नी 01 अप्रैल, 2013 से पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।"

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सदस्य मासिक उपलब्धियाँ और अन्य सुविधाएँ पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्य भी उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन और अन्य सुविधाएँ पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्यों, जिनका निधन 05 मार्च, 2010 को या उसके पश्चात् हुआ हो, के पति/पत्नी भी अधिनियम के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं।

मूल्य वृद्धि और उत्तदायित्वों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के अनुमन्य भत्ते, रेलवे कूपनों और अन्य सुख-सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन एवं रेलवे कूपनों में वृद्धि की जाय।

भूतपूर्व सदस्यों, जिनका 05 मार्च, 2010 के पूर्व निधन हो गया है, के पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। इस विसंगति को दूर करने के लिये यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिये प्रावधान किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0के0 पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।